समाचार–प्रकाशनार्थ :–

शहर के वार्डो को जीरों वेस्ट बनाने की तैयारियां शुरु

वार्ड 7 और 17 को जीरो वेस्ट बनाने से होगी शुरूआत

स्वच्छता दीदी जाकर करेंगी गीले–सूखे कचरे का पृथक्कीकरण

रतलाम 03 मार्च । स्वच्छ सर्वेक्षण–2021 के तहत रतलाम शहर को स्वच्छता की दौड़ में अव्वल बनाने के प्रयासों के चलते नगर निगम शहर के वार्डो को जीरों वेस्ट बनाने की तैयारियों को अंजाम देने जा रहा है। इसी के तहत पहले चरण में शहर के दो वार्डो को जीरों वेस्ट बनाने की तैयारी 04 मार्च गुरूवार से की जाएगी। इस संबध में बुधवार को आयोजित बैठक के दौरान निगम आयुक्त श्रीसोमनाथ झारिया ने संबधित शाखा प्रमुखों को दिशा निर्देश दिए है।

स्वच्छ सर्वेक्षण–2021 में रतलाम को स्वच्छता की दौड़ में नम्बर–1 बनाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रथम चरण में शहर के वार्ड 7 (अलकापुरी) और वार्ड 17(ईश्वरनगर)को जीरो वेस्ट वार्ड बनाए जाने की तैयारियों को अंतिम रुप दिया गया है। जीरों वेस्ट वार्ड बनाए जाने में नागरिकों को अब इतना करना है कि वे अपने घर, दुकान आदि के सामने हर दिन सुबह गीले व सूखे कचरे का पृथक्कीकरण कर रखे। यहां कचरा वाहन के साथ आने वाली स्वच्छता दीदी इन कचरा पात्रों की जांच करेगी। अगर गीला और सूखा कचरा अलग–अलग नही किया गया होगा तो ये इस कार्रवाई को पूरा करेगी और इन दोनो तरह के कचरों को अलग–अलग डाला जाएगा।

इस दौरान रेग पिकर्स नागरिकों को गीला और सूखा कचरा अलग–अलग रखने की समझाईश भी देगी। इन्हे सुरक्षा किट सहित अन्य साधन में भी मुहैया कराए जाएगे। इनके साथ आईईसी की टीम के सदस्य भी शामिल होगे।

बैठक के दौरान निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कहां कि हमारा मुख्य प्रयास ये ही है कि शहर के किसी भी कोने में खुले में कचरा नही होना चाहिए। जो कचरा फेकते है उनके खिलाफ स्पाट फाईन की कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही समाप्त किए गए कचरा स्थलों पर रांगोली निर्माण और जागरुकता कार्यक्रमों का दौर भी जारी है। नष्ट किए गए कचरा स्थलों पर दोबारा कोई कचरा ना डाले इसके लिए लठैत भी तैनात किए गए है।
उन्होने कहां कि सफाई और पानी का इंतजाम हम सबकी प्राथमिकताओं में शामिल होना चाहिए ऐसे में सभी इन महत्वपूर्ण जरुरतों के लिए अपनी पूर्ण भागीदारी ईमानदारी से निभाए।

आयोजित बैठक में उपायुक्त श्री विकास सोंलकी, सहायक आयुक्त श्रीमती ज्योति सुनारिया, कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास, श्री जी.के. जायसवाल, स्वच्छता कनसलटेंट श्री प्रतीक मिश्रा, सहायक यंत्री श्री श्याम सोनी, श्री एम.के. जैन, निगम सचिव श्री जसवन्त जोशी, जलप्रदाय विभाग प्रभारी श्री सत्यप्रकाश आचार्य, स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, उद्यान प्रभारी श्री अरविन्द दशोत्तर उपयंत्री सर्वश्री अनवर कुरेशी, राजेश पाटीदार, विकास मरकाम, मनीष तिवारी, दीक्षा निजामपुरकर, मनीष तिवारी, सिद्धार्थ सोनी, सुश्री दीक्षा निजामपुरकर, श्रीमती अनिता ठाकुर, स्टेनोग्राफर श्री प्रमोद तिवारी, सिटी मैनेजर श्री कपील मारोठिया, श्री नितिन तिवारी, कार्यालय अधीक्षक श्री रामचन्द्र शर्मा, श्री बी.एल. चावरे, सहायक राजस्व निरीक्षक श्री बलवन्त राठौर, झोन प्रभारी श्री किरण चौहान, श्री पर्वत हाड़े, उप स्वच्छता पर्यवेक्षक आदि उपस्थित रहे।

वृदांवन बैकरी से 40 किलो पॉलीथीन जब्त कर 5000 का जुर्माना किया
14 व्यक्तियों पर स्पॉट फाईन कर 13 किलो पॉलीथीन जब्त
50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन उपयोग प्रतिबंधित
उपयोग व भण्डारण पर होगी जब्ती व लगेगा दण्ड

रतलाम 03 मार्च । शासन निर्देशानुसार नगरीय क्षेत्र रतलाम में 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व प्लास्टिक उपयोग प्रतिबंधित किये जाने के तहत कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है।

निर्देशानुसार निगम का स्पॉट फाईन दल द्वारा सज्जन मिल रोड स्थित वृंदावंन बैकरी पंहूचने पर संचालक द्वारा पॉलीथीन जब्त करने में असहयोग करने पर कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में स्वास्थ्य अधिकारी ए.पी. सिंह व स्पॉट फाईन दल द्वारा संबंधित से 40 किलो पॉलीथीन जब्त कर 5000/– का जुर्माना किया।

इसके अलावा तेजराम स्टेशन रोड पर 1500, लक्की जवाहर नगर पर 500, मन्नालाल गांधी नगर पर 300, अजय सिंह, सुनील, रितेश दीनदयाल नगर, गोपाल स्टेशन रोड, गौरव, पुष्पेन्द्र डाट की पुल व 4 अन्य पर पर 250–250 रूपये का जुर्माना कर भविष्य में 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन उपयोग ना करने की समझाईश दी गई व लगभग 13 किलो पॉलीथीन जब्त की गई।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगरीय क्षेत्र रतलाम में सब्जी, फल–फ्रुट व अन्य सामग्री के फुटकर व्यवसायी अगर 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का उपयोग करते हैं तो उन पर 50 रूपये का अर्थदण्ड किया जाकर पॉलीथीन जब्ती की कार्यवाही की जायेगी। इसी तरह दुकानदारो द्वारा 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का उपयोग व भण्डारण करता है तो उस पर 5000/– रूपये का अर्थदण्ड किया जाकर पॉलीथीन जब्ती की कार्यवाही की जायेगी।

नगर के नागरिक, दुकानदार व फुटकर व्यापारियों से अपील की जाती है कि वे 50 माईक्रॉन से कम मोटाई वाली पॉलीथीन व प्लास्टिक का उपयोग व भण्डारण ना करें।

जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, झोन प्रभारी श्री किरण चौहान व श्री पर्वत हाड़े, उप स्वच्छता निरीक्षक श्री जय उपाध्याय आदि के द्वारा की गई। गंदगी व मलबा फैलाने, अतिक्रमण करने पर संबंधितों के विरूद्ध जुर्माना किये जाने का अभियान निरंतर जारी रहेगा।

अनुपस्थित 42 सफाई संरक्षकों का वेतन काटा

कारण बताओ सूचना–पत्र जारी

रतलाम 03 मार्च। निगम के चारो झोन के वार्डो की सफाई कार्य के निरीक्षण के दौरान नगर के विभिन्न वार्डो में 03 मार्च बुधवार को बिना सूचना के 42 सफाई संरक्षकों द्वारा अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार एक दिवस का वेतन काटा जाकर अस्थाई कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त करने व स्थाई कर्मचारियों को निलंबित किये जाने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

वार्डवार पर्यवेक्षकों ने नगर के विभिन्न क्षेत्रों में करवाया सफाई का कार्य

स्वच्छता कार्य में नियुक्त वार्डवार पर्यवेक्षक अपने–अपने वार्डो में प्रतिदिन भ्रमण करें

प्रतिदिन की रिपोर्ट व्हाट्स एप ग्रुप में अपलोड करें

रतलाम 03 मार्च । स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता में नम्बर 1 बनाने हेतु युद्ध स्तर पर की जाने वाली तैयारियों के संबंध में वार्ड वार नियुक्त पर्यवेक्षकों अपने–अपने वार्डो में सफाई कार्य हेतु पर्यवेक्षण निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार किया जाकर प्रतिदिन के पर्यक्षण कार्य की रिपोर्ट व्हाट्स एप ग्रुप में दी जाकर स्वच्छता संबंधी कार्य करवाया जा रहा है।

निगम आयुक्त श्री झारिया के निर्देशानुसार वार्डवार नियुक्त पर्यवेक्षकों ने अपने–अपने वार्ड में भ्रमण कर जानकारी प्रस्तुत की जिसके तहत विनोबा नगर सरस्वती माता मंदिर उद्यान, ईश्वर नगर, इंदिरा नगर, विनोबा नगर मुक्तिधाम के पीछे, वार्ड क्रमांक 4 की नालियां, वार्ड क्रमांक 33 कारगिल उद्यान, वार्ड 47 सुलभ काम्पलेक्स के सामने, ग्लोबस टाउनशिप, दीनदयाल नगर, आईटीआई के आसपास, इन्द्रलोक नगर, गोकुलधाम कालोनी, बाजना बस स्टैण्ड व काशीनाथ के नोहरे में सफाई का कार्य करवाया गया। इसके अलावा इंदिरा नगर सांई मंदिर उद्यान व इन्द्रलोक नगर उद्यान में कम्पोस्ट पीट लगवाई गई।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड वार नियुक्त पर्यवेक्षकों को निर्देशित किया कि वे अपने–अपने वार्डो में प्रातः 6 बजे से भ्रमण कर वार्ड में साफ–सफाई, विशेष रूप से सड़को, नालियों की सफाई, उद्यानों की साफ–सफाई व रख–रखाव करवाना, सार्वजनिक दिवारों पर स्वच्छता का संदेश देने वाली वॉल पेंटिग करवाना, सर्वेक्षण के मानक अनुसार वार्डो में साइनेज का कार्य करवाना, वार्डो में उचित दूरी पर डस्टबीन रखवाना, कचरा संग्रहण वाहनों की मॉनीटरिंग करना, कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिकों को प्रेरित करना, पृथक्कीकरण अवस्था में कचरा ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाना, वार्डो में आईईसी गतिविधियां संचालित कर नागरिकों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करना, कचरा संग्रहण वाहनों की जीपीएस ट्रेकिंग करवाना, थोक कचरा उत्सर्जन वाले संस्थानों में उनके ही स्थल पर जैविक खाद निर्माण करवाना, नागरिकों को होम कम्पोस्टिंग किये जाने हेतु प्रेरित किये जाने के साथ ही अपने–अपने वार्डो चिन्हित बेस्ट पाईट विशेष सफाई, स्वच्छता संदेश की वॉल पेंटिग, सौन्दर्यीकरण आदि कार्य करवाये जाने के निर्देश दिये।

इसके अलावा नियुक्त पर्यवेक्षक प्रतिदिन के कार्यो की रिपोर्ट प्रतिदिन सांय 6 बजे प्रस्तुत करे व स्वच्छता के कार्य को सुगम बनाने व कार्य में गति प्रदान करने हेतु नियुक्त पर्यवेक्षेक व्हाट्स एप ग्रुप प्रतिदिन की रिपोर्ट अपलोड करें।

आनन्द कालोनी में आज लगेगा निगम का बकाया वसूली शिविर

नागरिकों ने 43,12,144/– संपत्तिकर व 9,13,380/– जलकर जमा कराया

रतलाम 03 मार्च । नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधीत करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली शिविर 18 जनवरी से आयोजित किये गये है जो 27 मार्च तक चलेंगे।

आयोजित शिविरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरण, जलकर, दुकान, गुमटी किराया, लायसेंस शुल्क एवं विकास शाखा से संबंधित भवन की किश्त तथा भू–भाटक की बकाया राशि जमा करा सकेगें।

निगम द्वारा आयोजित शिविरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर शिविर में संपत्तिकर 1,10,000/– व जलकर 6,000/–, मालवा नगर लक्ष्मणपुरा शिविर में संपत्तिकर 1,40,000/– व जलकर 55,775/–, अम्बे माता जवाहर नगर शिविर में संपत्तिकर 2,38,000/– व जलकर 49,010/–, विनोबा नगर शिविर में संपत्तिकर 1,29,000/– व जलकर 43,670/–, अलकापुरी कम्यूनिटी हॉल शिविर में संपत्तिकर 1,22000/– व जलकर 29,280/–, तिरूपति शिविर में संपत्तिकर 77,000/– व जलकर 19,850/–, कोमल नगर शिविर में संपत्तिकर 1,27,000/– व जलकर 48,220/–, मार्निंग स्टार स्कूल शिविर में संपत्तिकर 1,12,000/– व जलकर 14,000/–, कस्तुरबा नगर शिविर में संपत्तिकर 5,47,000/– व जलकर 86,540/–, प्रियदर्शनी नगर शिविर में संपत्तिकर 1,02,000/– व जलकर 3,76,905/–, डोंगरे नगर शिविर में संपत्तिकर 1,82,500/– व जलकर 76,470/–, हाट रोड शिविर में संपत्तिकर 68,000/– व जलकर 47,595/–, कलीमी कालोनी शिविर में संपत्तिकर 1,17,000/– व जलकर 22,680/–, राजेन्द्र नगर शिविर में संपत्तिकर 1,01,644/– व जलकर 55,320/–, काटजू नगर शिविर में संपत्तिकर 2,76,000/– व जलकर 59,500/–, वेदव्यास कालोनी शिविर में संपत्तिकर 26,62,144/– व जलकर 6,71,025/–, कल्याण नगर शिविर में संपत्तिकर 71,000/– व जलकर 19,000/–, दीनदयाल नगर शिविर में संपत्तिकर 2,47,000/– व जलकर 64,780/–, बोहरा बाखल शिविर में संपत्तिकर 4,92,000/– व जलकर 66,715/–, रामगढ़ शिविर में संपत्तिकर 1,60,000/– व जलकर 34,340/–, लक्कड़पीठा प्याऊ के पास शिविर में संपत्तिकर 2,30,000/– व जलकर 44,230/–, धानमण्डी शिविर में संपत्तिकर 2,07,000/– व जलकर 33,940/–, जूनि कोर्ट किरण टॉकिज शिविर में संपत्तिकर 1,84,000/– व जलकर 56,350/–,आनन्द कालोनी शिविर मे संपत्तिकर 44,35,144/– व जलकर 9,52,990/– की राशि जमा कराई। इस तरह नागरिकों ने अब तक आयोजित शिविरों में 44,35,144/– संपत्तिकर व 9,52,990/– जलकर की राशि जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित किये गये वसूली शिविरो के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 28, 29, 36, 37 व 38 के लिये 3 से 4 मार्च को लॉ कॉलेज आनंद कालोनी, वार्ड क्रमांक 28 के लिये 5 मार्च को प्रताप नगर उद्यान के पास, वार्ड क्रमांक 13 के लिये 6 मार्च को महावीर नगर, वार्ड क्रमांक 39, 40 व 41 के लिये 8 से 9 मार्च तक पैलेस रोड तिराहा, वार्ड क्रमांक 25, 26 व 27 के लिये 10 मार्च को चौगानिया भेरू, वार्ड क्रमांक 24, 25 व 42 के लिये 12 व 15 मार्च को शिक्षा विभाग सायर चबुतरा, वार्ड क्रमांक 43 व 45 के लिये 16 व 17 मार्च तक चौमुखीपुल प्याऊ के पास, वार्ड क्रमांक 41 के लिये 18 से 19 मार्च तक बजाजखाना गणेश देवरी, वार्ड क्रमांक 33, 34 व 35 के लिये 20 व 22 मार्च को शास्त्री नगर सेंट्रल बैंक के पास, वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लिये 23 से 24 मार्च तक दो बत्ती चौराहा, वार्ड क्रमांक 30, 31, 32 व 34 के लिये 25 से 26 मार्च तक स्टेशन रोड दिलबहार चौराहा व वार्ड क्रमांक 16 व 17 के लिये 27 मार्च को टाटा नगर में कार्यालयीन समय में शिविर आयोजित किये गये है।

निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि निगम द्वारा उक्त शिविर बकायादारों की सुविधा के लिए आयोजित किये गये है इन आयोजित शिविरों में बकायादार अपनी बकाया राशि जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें।

गंदगी करने वालो पर स्पॉट फाईन हेतु दल का गठन

नागरिक भी गंदगी करने वालो की सूचना दल को दें

रतलाम 03 मार्च। नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि खुले में, नाले–नालियों में कचरा डालते है व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का विक्रय, उपयोग व भण्डारण करते है उन पर जुर्माना किये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने दल का गठन कर स्पॉट फाईन हेतु वाहन भी उपलब्ध कराया है।

गठित दल में विराट मेहरा, उप स्वच्छता पर्यवेक्षक मो.नं. 9770326691 को दल प्रभारी नियुक्त किया है इसके अलावा मनोज टांक मो.नं. 7000848456, पवन झांझोट मो.नं. 7000128812, आकाश शिन्दे, मनोज झांझोट, राकेश ललावत दल प्रभारी के साथ रहकर नगर में नगर में ऐसे

दुकानदार एवं नागरिक जो कि खुले में, नाले–नालियों में कचरा डालते है व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का विक्रय, उपयोग व भण्डारण करते है उन पर जुर्माना करेंगे व जो दुकानदार जुर्माने के बाद भी निरंतर गंदगी करते है उनकी दुकाने सील करने की कार्यवाही करेंगे।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है कि शहर को गंदा करने वाले नागरिकों, दुकानदारों आदि की जानकारी उक्त मोबाईल नम्बरों पर देकर नगर को साफ–स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा

707 मवेशियों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा

रतलाम 03 मार्च । रतलाम नगर को साफ–स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानो, सड़को, चौराहों पर स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा अब रात्री में भी मवेशियों को पकड़ा जायेगा क्योंकि मवेशी पालको द्वारा दिन में मवेशियों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा 13 अक्टूबर से अभियान चलाया गया तथा 03 मार्च तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों से 707 मवेशियों को पकड़ा जाकर जिले की विभिन्न गौशालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 03 मार्च गुरूवार को दो बत्ती व चांदनी चौक से 2 मवेशी निगम के स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा पकड़े गये।

शहर के सार्वजनिक स्थानों, सड़को चौराहो को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलो को अभियान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी किया गया है। शहरी क्षेत्र में मवेशियों का पालन करना नियम विपरित है, ऐसे मवेशी पालक जो कि शहरी क्षेत्र में अनुमति के विपरित तबेले एवं बाड़ो का निर्माण कर मवेशियों का पालन किया जा रहा है वे स्वंय अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते है तो निगम द्वारा उन्हे तोड़ा जाकर राशि वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो कि अपना घोड़ा या अन्य किसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोडेगा व उससे किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पंहूचता है तो पालक पर 500 रूपये का अर्थदण्ड किये जाने का प्रावधान हैं। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड राशि रूपये 500/– वसूल करेगा स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाले मवेशियों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए0पी0 सिंह, झोन प्रभारी श्री किरण चौहान, श्री पर्वत हाड़े व स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा की गई।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 03 मार्च । स्वच्छ सर्वेक्षण–2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर–1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डो की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले–नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले–नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डो की समुचित साफ–सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निष्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ–सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण की दी समझाईश स्वच्छता के लिये नगारिक दे रहे हैं फीडबैक

रतलाम 03 मार्च । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा दिये गये निर्देशानुसार नगर के समस्त घरों, दुकानों आदि से 100 प्रतिशत गीला एवं सूखा कचरा पृथक–पृथक संग्रहित किये जाने हेतु नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम आस्था के सदस्यों द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को स्वच्छता बनाये रखने गीला व सूखा कचरा पृथक–पृथक रखने की समझाईश दी जा रही है।

नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम डिवाईन के सदस्यों द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण हेतु घरों एवं दुकानों में पृथक–पृथक कचरा पात्र रखकर पृथक–पृथक कचरा एकत्रिकरण व गीले एवं सूखे कचरे को निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक–पृथक भागों में डालने की समझाईश दी साथ ही नागरिकों से स्वच्छता हेतु स्वच्छता एप पर सिटीजन फीडबैक लिया।

सफाई संबंधी शिकायत दर्ज कराने हेतु नागरिक स्वच्छता एप का उपयोग करें

रतलाम 03 मार्च । रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने हेतु कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड, निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मिशन के तहत सफाई संबंधी शिकायत दर्ज कराने के लिये भारत सरकार द्वारा तैयार किये गये स्वच्छता एप की जानकारी निगमकर्मियों व नगर निगम की सहयोगी संस्था आस्था के सदस्यों ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नागरिकों को दी।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत किये जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण–2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने के लिये रतलाम नगर के नागरिक सफाई संबंधी शिकायत स्वच्छता एप दर्ज कराने के लिये अपने एन्ड्रोयड मोबाईल पर गूगल प्ले स्टोर में जाकर स्वच्छता एप टाईप करें, उसके पश्चात एप को इन्सटाल करें। इन्सटाल करने के बाद एप्लीकेशन ओपन करके अपना मोबाईल नम्बर रजिस्टर्ड करें। इसके बाद अपना जीपीएस ऑन करें इसके बाद आपकी सफाई संबंधी शिकायत का फोटो लेकर अपलोड करें। अपलोड की गई शिकायत नगर निगम के पास आयेगी ओर उसका तत्काल निराकरण किया जायेगा।

कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिक एवं दुकानदरों को रखना होंगे 4 डस्टबीन

खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालो पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी अतिक्रमण व गंदगी करने पर होगा जुर्माना

रतलाम 03 मार्च । नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार एवं नागरिक जो कि अपनी दुकानों एवं घरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत कचरा पृथक्कीकरण हेतु 4 डस्टबीन नहीं रख रहे है व दुकानों के सामने गंदगी व अतिक्रमण कर रहे उन पर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार अपनी दुकानों में गीले कचरे अर्थात कीचन में बनी हुई खाद्य सामग्री, फल–सब्जी के छिलके, घांस व पेड़ की पत्तियां, राख, चाय पत्ती, बचा हुआ खाना आदि के लिये हरा डस्टबीन, सूखा कचरा अर्थात पुस्टा, अखबार, लोहा, कपड़ा, शाल, कांच, पैकिंग मटेरियल, टुटे खिलौने, प्लास्टिक आदि के लिये नीला डस्टबीन, घरेलू हानिकार

कचरे के लिये पेन्ट के डिब्बे, पेस्टीसाइड के डिब्बे, सीएफएल, ट्यूबलाईट, थर्मामीटर, बैटरी आदि के लिये काला डस्टबीन तथा मेडिकल वेस्ट अर्थात् सेनेटरी नेपकीन, डायपर, सुई, सिंरिज, मास्क, ग्लब्स, पीपीई कीट आदि के लिये पीला डस्टबीन रखकर अपने घरों एवं दुकानों तथा प्रतिष्ठानों में ही कचरे का पृथक्कीकरण कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक–पृथक भागों में डालकर कचरा पृथक्कीकरण कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। जो नागरिक या दुकानदार उक्तानुसार कचरे का पृथक्कीकरण नहीं करेगा व खुले में कचरा डालने वालो उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी।

नागरिक एवं दुकानदार खुले में कचरा डालेंगे तो उन पर भी नगर निगम अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। नगर के विभिन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर कन्ट्रोल रूम पर निगरानी रखी जा रही है। नगर निगम की टीम संबंधित के घर एवं दुकानों पर जाकर 5000–5000 हजार का जुर्माना करेगी।

समाचार / ज.सं.वि. / हेमन्त / 03.03.2021 / न.पा.निगम, रतलाम.